



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन संख्या - 08/2020, सहायक अभियंता (यांत्रिक), 03/2020 एवं सहायक अभियंता (असैनिक) प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की औपबंधिक सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम।

विज्ञापन संख्या - 08/2020, सहायक अभियंता (यांत्रिक) के कुल-61 एवं 03/2020, सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल-30 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-


क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	बुधवार 22.11.2023	विज्ञापन संख्या - 08/2020, सहायक अभियंता (यांत्रिक) 800475, 800479, 800576, 800798, 800817, 801348, 801527, 801590, 801867, 802069, 802234, 802394, 802438, 802479, 802516, 802853, 803255, 803776, 803858, 803924, 804000, 804565, 804841, 804923, 805039, 805517, 806042, 806465, 806933, 806944, 806984, 807169, 807251, 807337, 807560, 807763, 808132, 808489, 808575, 808625, 808782, 809952, 810467, 810541, 810579, 810679	810946, 811315, 811581, 811819, 812012, 812469, 812994, 813454, 813558, 813599, 813757, 813810, 814089, 814424, 814525 विज्ञापन संख्या -03/2020, सहायक अभियंता (असैनिक) 300072, 300637, 301335, 301533, 301579, 301785, 301808, 301810, 302094, 302731, 302895, 303028, 303264, 303658, 304322, 304655, 304831, 305111, 305497, 305512, 305781, 305802, 306205, 306491, 306629, 306778, 306810, 307071, 307510, 307837

टिप्पणी:

- उपर्युक्त सूची औपबंधिक रूप में मेरिट पर आनेवाले उम्मीदवारों की सूची है एवं इसे अन्तिम रूप से सफल उम्मीदवारों की सूची नहीं समझा जाए। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के उपरान्त अन्तिम परीक्षाफल हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी एवं उपरोक्त सूची में परिवर्तन हो सकता है।
- उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन में शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षित कोटि, दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती इत्यादि के किये गये दावा के अनुसार सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:-
 - जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (क) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से यांत्रिक/असैनिक अभियंत्रण में डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(ख) UGC द्वारा मान्यताप्राप्त सम विश्वविद्यालयों (Deemed University) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।
(ग) अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा-"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा-"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।
 - उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की है, उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र/आचरण प्रमाण-पत्र।
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर-निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों में सविदा के आधार पर कार्यरत संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र मूल में लाना अनिवार्य होगा।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
 - पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
 - पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक - 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र।
 - निःशक्तता संबंधी वैध प्रमाण पत्र।

नोट:- अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

- (x) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र। मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा।
 - (xi) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 - (xii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 - (xiii) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
 - (xiv) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (Recent Coloured Photograph)।
 - (xv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
3. यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है। शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित मूल/औपबधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि विज्ञापन संख्या-08/2020 सहायक अभियंता (यांत्रिक) एवं 03/2020, सहायक अभियंता (असैनिक) के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-24.06.2020 के पूर्व का होना आवश्यक है।
4. ऑनलाईन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किये दावा के अनुसार शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती का प्रमाण पत्र इत्यादि के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
5. यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
6. सभी उम्मीदवार अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 01 छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।


14/11/23
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना